

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 72/2022

उनवान

1. कानदास पुत्र नन्दादारा जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
2. रामेश्वरदास पुत्र नानुदास जाति बरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
3. शंकरदास पुत्र नानुदास जाति बरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
4. श्यामदास पुत्र मांगुदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
5. सीताराम पुत्र जमनादास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
6. भूरा पुत्र जमनादास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
7. राधेश्याम पुत्र प्रभूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
8. शान्तिलाल पुत्र प्रभूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
9. संतोष पुत्र प्रभूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
10. कंचनदेवी पत्नि प्रभूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
11. दुर्गा पुत्री प्रभूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
12. देऊ पुत्री जमनादास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
13. धापु पत्नि स्व० मांगुदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
14. लदी बाई पत्नि स्व० किशनदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
15. शान्ति पत्नि स्व० जमनादास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी।
16. नाबालिग गोविन्द पुत्र किशनदास संरक्षक सरपरस्त माता लादी बाई जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज०।
17. नाबालिग राजु पुत्र किशनदास संरक्षक सरपरस्त माता लादी बाई जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज०।
18. नाबालिग सुमित्रा पुत्री किशनदास संरक्षक सरपरस्त माता लादी बाई जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कान्याखेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज०।
19. नाबालिग पारस पुत्री जमनादास संरक्षक सरपरस्त माता शान्ति बैरागी निवासी कान्याखेडी।
20. नाबालिग भगवती पुत्री जमनादास संरक्षक सरपरस्त माता शान्ति बैरागी निवासी कान्याखेडी।
21. नाबालिग श्रवण पुत्र जमनादास संरक्षक सरपरस्त माता शान्ति बैरागी निवासी कान्याखेडी।
22. नाबालिग सुगना पुत्री जमनादास संरक्षक सरपरस्त माता शान्ति बैरागी निवासी कान्याखेडी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स नितिन स्पीनर्स लि० चितौडगढ रोड हमीरगढ, भीलवाडा।
2. हीरादास पुत्र श्री धन्नादास बैरागी नि. कान्याखेडी तह० हमीरगढ।
3. ईश्वरदास पुत्र श्री धन्नादास बैरागी नि. कान्याखेडी तह० हमीरगढ।
4. जगदीशदास पुत्र श्री धन्नादास बैरागी नि. कान्याखेडी तह० हमीरगढ।
5. शम्भूदास पुत्र श्री जमनादास बैरागी नि. कान्याखेडी तह० हमीरगढ।
6. राजू पुत्र शंकरदास बैरागी नि. कान्याखेडी तह० हमीरगढ।
7. मिठा लाल पुत्र खुबचन्द सिंघवी निवासी वकील कॉलोनी भीलवाडा।
8. भैरू पुत्र धुकल गाडरी नि० कान्याखेडी।
9. भूरा पुत्र देवा गाडरी निवासी कान्याखेडी।
10. रतन देवा गाडरी निवासी कान्याखेडी।
11. श्रीराम पुत्र देवा गाडरी निवासी कान्याखेडी।
12. गोपाल पुत्र नारायण गाडरी निवासी कान्याखेडी।
13. नन्दकिशोर पुत्र नारायण गाडरी निवासी कान्याखेडी।
14. देवीलाल पुत्र बंशीलाल सुथार निवासी हमीरगढ।
15. उदयलाल पुत्र शंकरलाल सुथार निवासी हमीरगढ।
16. गोपाल पुत्र भंवरलाल सुथार निवासी हमीरगढ।
17. चुना पुत्र गोमा बैरवा निवासी कान्याखेडी।
18. देबीलाल पुत्र भंवर बैरवा निवासी कान्याखेडी।
19. मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण बैरवा निवासी कान्याखेडी।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाडा

20. लादु पुत्र उदा बैरवा निवासी कान्याखेडी।
21. गोदु पुत्र प्रताप बैरवा निवासी कान्याखेडी।
22. परथु पुत्र उंकार बैरवा निवासी कान्याखेडी।
23. रतन पुत्र गणेश बैरवा निवासी कान्याखेडी।
24. मै.कैल्विन टैक्स वियरर्स नि० कान्याखेडी।
25. भगवान पुत्र कालु बैरवा निवासी कान्याखेडी।
26. मदन पुत्र कालु बैरवा निवासी कान्याखेडी।
27. बंशी पुत्र कालु बैरवा निवासी कान्याखेडी।
28. बालू पुत्र कालु बैरवा निवासी कान्याखेडी।
29. कल्पना पत्नि सुनील कुमार जैन निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा।
30. उदेराम पुत्र मोहन लाल बैरवा निवासी-चमरो की झौपडिया, हमीरगढ।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कान्याखेडी प.ह. खैराबाद भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 155 की कृषि भूमि की आ०न० 397 रकबा 0.1644है०, आ०न० 398 रकबा 0.1391है०, आ०न० 399 रकबा 0.2276 है०, आ०न० 401 रकबा 0.2529है०, आ०न० 404 रकबा 0.3288है० आ०न० 405 रकबा 0.0885है०, आ०न० 406 रकबा 0.1644है०, आ०न० 407 रकबा 0.1391है०, आ०न० 408 रकबा 0.0885है०, आ०न० 409 रकबा 0.0885है०, आ०न० 413 रकबा 0.0506 है०, आ०न० 423 रकबा 0.0506है० आ०न० 424 रकबा 0.0759है०, आ०न० 425 रकबा 0.1138है०, आ०न० 437 रकबा 0.1265है० आ०न० 439 रकबा 0.1265है०, आ०न० 439 रकबा 0.0759है०, आ०न० 440 रकबा 0.1517 है०, आ०न० 456 रकबा 0.1517है०, आ०न० 457 रकबा 0.2782है०, आ०न० 458 रकबा 0.0126 है० आ०न० 459 रकबा 0.2150 है० कुल कित्ता 22 रकबा 3.1108 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.05.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 30 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम कान्याखेडी प.ह. खैराबाद भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 155 की कृषि भूमि की आ०न० 397 रकबा 0.1644है०, आ०न० 398 रकबा 0.1391है०, आ०न० 399 रकबा 0.2276 है०, आ०न० 401 रकबा 0.2529है०, आ०न० 404 रकबा 0.3288है० आ०न० 405 रकबा 0.0885है०, आ०न० 406 रकबा 0.1644है०, आ०न० 407 रकबा 0.1391है०, आ०न० 408 रकबा 0.0885है०, आ०न० 409 रकबा 0.0885है०, आ०न० 413 रकबा 0.0506 है०, आ०न० 423 रकबा 0.0506है० आ०न० 424 रकबा 0.0759है०, आ०न० 425 रकबा

उपखण्ड अधि
हमीरगढ, जिला-1

1.38 है०, आ०न० 437 रकबा 0.1265 है० आ०न० 439 रकबा 0.1265 है०, आ०न० 439 रकबा
759 है०, आ०न० 440 रकबा 0.1517 है०, आ०न० 456 रकबा 0.1517 है०, आ०न० 457 रकबा
2782 है०, आ०न० 458 रकबा 0.0126 है० आ०न० 459 रकबा 0.2150 है० कुल किता 22
कबा 3.1108 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1300/-रु० पक्षकार
प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी
प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा
गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।


(अंशुल आर्मेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला हमीरगढ़